



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228134
CG-DL-E-06072021-228134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2507]
No. 2507]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/ आषाढ़ 15, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

का.आ. 2708 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3731 (अ), तारीख 21/10/2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में NH-13 (नई NH-52) के कि.मी. 30.340 से कि.मी. 102.000 (सोलापूर - विजयपुर विभाग) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15/12/2020" को "विजय कर्नाटक" (कन्नड) और "टाइम्स ऑफ इंडिया" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और भूमि मालिकों / इच्छुक व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त नहीं हुए और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में NH-13 (New NH-52) के कि.मी. 30.340 से कि.मी. 102.000 (सोलापूर - विजयपुर विभाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: विजयपुरा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: इंडी				
	गांव का नाम: अगसनाल				
1	169/3	निजी	एग्रीकल्चर ड्राई	0.082	महादेवी सिध्देया हिरेमठ (169/3)
2	169/5	निजी	एग्रीकल्चर ड्राई	0.0408	मल्लय्या गुरुपदेया हिरेमठ (169/5)
	गांव का नाम: अर्जनाल				
3	222	निजी	एग्रीकल्चर (इरिगेटेड)	0.0824	अप्पासाहेब मडप्पा बिराजदार (222)
			कुल	0.2052	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/15012/10/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2021

S.O. 2708(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 3731 (E) dated 21th October 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH52 on the stretch of land from Km. 30.340 to Km. 102.000 (Solapur - Vijayapur Section) in the district of Vijayapura in the state of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vijaya Karnataka” (Kannada) and “Time of India” (English) both dated 15/12/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have not been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the of land from K.M. 30.340 to K.M. 102.000 (Solapur - Vijayapur Section) of the National Highway No. 13 (New NH-52) in the district of Vijayapura, state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: Vijayapura			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Indi				
	Village: Agasanal				
1	169/3	Private	Agriculture (Dry)	0.082	Mahadevi Siddayya Hiremath 169/3
2	169/5	Private	Agriculture (Dry)	0.0408	Mallayya Gurupadayya Hiremath 169/5
	Village: Arajanal				
3	222	Private	Agriculture (Irrigated)	0.0824	Appasaheb Madeppa Birajdar 222
			TOTAL	0.2052	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/15012/10/3D]

RAJESH GUPTA, Director